



## EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

"एक वैश्विक नागरिक होने का क्या अर्थ है?"

हाल ही में स्पेन में आयोजित UNFCCC के COP-25 में संपूर्ण विश्व की नजर उस समय आश्चर्यचकित रह गयी जब एक 16 वर्षीय बालिका ग्रेटा थुनबर्ग विद्यालय छोड़कर ग्लोबल वार्मिंग से बदलते जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक जागरूकता हेतु आंदोलन करने लगी। इसी तरह कुछ वर्ष पहले कैलाश सत्यार्थी (नॉबेल विजेता भी रहे हैं) ने पूरे विश्व का ध्यान 'बचपन बचाओ आंदोलन' की ओर खींचा।

अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए ये प्रयास नहीं बल्कि एक वैश्विक नागरिक होने की ओर संकेत करते हैं।

अब हम चर्चा करेंगे कि वैश्विक नागरिक कौन हैं? इसका क्या अर्थ है? निम्न-निम्न गुणों का होना आवश्यक है, इससे क्या-क्या वैश्विक लाभ हैं, क्या इसके सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आयाम भी हैं, अगर हैं तो क्या हैं, मानव कल्याण हेतु इसकी क्या आवश्यकता है, एक विश्व के सिद्धांत हेतु इसकी प्रासंगिकता आदि प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे।

द्वैतवाद से परे सामूहिक जन कल्याण की भावना रखने वाला व्यक्ति जो सभी वैश्विक समस्याओं जैसे - प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, असमानता, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय हेतु पूरे विश्व के प्रति संवेदनशीलता तथा सहिष्णुता रखता है, वैश्विक नागरिक कहलाता है। वैश्विक नागरिक के अंतर्गत अगर संस्थानों का आकलन करें तो

इसका अर्थ आर्थिक स्पर्ध होता है।  
जैसे - WHO जैसी वैश्विक स्वास्थ्य संस्था, शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु (UN-ECOSOC) संस्था आदि वैश्वीकरण के युग में सामूहिक विश्व की अवधारणा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न नैतिकता युक्त सद्गुणों वाला व्यक्ति वैश्विक नागरिक युक्त गुणों वाला होता है।  
जैसे - करुणा, ईमानदारी, निष्पक्षता, साहस तथा दृढनिश्चयता जैसे गुण किसी व्यक्ति को वैश्विक स्तरीय एकीकृत सोच, विचार तथा धारणा को जन्म देते हैं। उदाहरण के तौर पर अभिजीत बनर्जी का प्रयोगात्मक तरीके के अनुमूलन का सिद्धांत आर्थिक रूप से अल्पविकासित तथा विकासशील देशों के लिए एक इनपुट का काम करता है।

# VISION IAS™

Don't write  
anything in the  
margin  
(एक वाक्य के  
कट्टे का हिस्सा)

आर्थिक आघात के रूप में वैश्विक नागरिक में निम्न गुणों का होना आवश्यक है - सामाजिक रूप से सुश्रेष्ठ वर्गों जैसे - महिलाएँ, बच्चे, निःशक्तजन, नृजातीय समूह आदि हेतु समान अधिकारों व आर्थिक न्याय की भावना रखता हो। ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल संपत्ति का 60% से अधिक हिस्सा 1% जनसंख्या के पास है। यह दर्शाता है कि वैश्विक नागरिक युक्त विचारधारा का अभाव गरीबी युक्त आर्थिक असमानता को जन्म देता है।

सामाजिक क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वैश्विक नागरिक की अवधारणा का जन्म औद्योगिकीकरण के साथ हुआ जब अनेक श्रमिक एक स्थान पर काम करने लगे। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों तथा संगठनों ने इन सुश्रेष्ठ वर्गों के स्वास्थ्य अधिकारों, आवास अधिकारों, शिक्षा

अधिकारों इत्यादि के प्रति वैश्विक जागरूकता को जन्म दिया। जिसका परिणाम भारत में कारखाना अधिनियम 1947 तथा कारखाना अधिनियम 1991 के रूप में देखा जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1919 में ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन) का गठन में योगदान देने वाले व्यक्तियों की वैश्विक चिंता को प्रकट करता है। इस संबंध में भारत द्वारा हाल ही में कन्वेंशन नं. 182 की पुष्टि भी की गई है।

राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाए तो वैश्विक नगरिक वह व्यक्ति है, जिन्हें संपूर्ण विश्व में कुछ अधिकार प्राप्त हो। इस संबंध में ICPR (इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन पर्सोनाल राइट्स), UN-HRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग) जैसी संस्थाएँ सभी व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकारों को सुनिश्चित करती हैं, जैसे - संपत्ति

का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि। ये समान अधिकारों की प्राप्ति किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से वैश्विक नागरिक बनने का प्रयास करती है।

इस परिप्रेक्ष्य में यदि पर्यावरण की दृष्टि से वैश्विक नागरिक पर विचार न किया जाए तो बात अचूरी लगती है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण वैश्विक नागरिक होने के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करता है क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन से सभी विकासशील तथा विकसित देश बुरी तरह प्रभावित हैं। IPCC (इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) के अनुसार वर्तमान उत्सर्जन जारी रहने पर 2100 वें वर्ष तक प्रतिवर्ष 9 mm की दर से समुद्री जलस्तर में वृद्धि तथा 3-4°C तापमान में वृद्धि होगी। अतः इन सभी पर्यावरणीय तथा

सू जलवायवीय चिंताओं पर एकमत वाला  
न्यायिक एक वैश्विक नागरिक कहलाता  
है।

इस चर्चा का एक विषय और  
है। कुल्ल जन का मानना है कि  
वैश्विक नागरिक का अर्थ एक विश्व -  
एक नागरिकता होता है, लेकिन  
अर्थवादी दृष्टिकोण से इसकी  
प्रासंगिकता कम नजर आती है।

समान विचारों तथा  
अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा युक्त  
समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को  
वैश्विक नागरिक के रूप में वर्गीकृत  
किया जा सकता है।

वैश्विक नागरिक व्यवस्था को  
बहाल देने से समाज तथा विश्व को  
अनेक लाभ प्राप्त होंगे - धार्मिक  
सहिष्णुता का विकास तथा कट्टरवाद पर  
नियंत्रण, सतत विकास लक्ष्यों के रूप  
में SDG-10 को प्राप्त हेतु सभी देशों

में असमानता को कम करना ,  
एक विश्व - एक स्वास्थ्य को अपनाना ,  
वन - सन , वन - ग्रिड , वन - अर्थ व्यवस्था

अपनाना , संरक्षितियों का वैश्वीकरण ,  
विविधता युक्त समाज , नैतिक मानदण्डों  
का पालन करने वाला समाज आदि का  
रास्ता प्रशस्त होगा ।

उपरोक्त लाभों के मद्देनजर  
सरकारों , अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों , नागरिक  
संघटनों , सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा आम  
जनता व प्रिंट , इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल  
मीडिया की भागीदारी से वैश्विक  
नागरिक के अर्थ को प्रसारित किया  
जा सकता है जिससे भांतिपूर्ण  
वैश्विक संबंधों का विकास तथा  
संघारणीय विकास एवं सामाजिक  
समावेशन सुनिश्चित होगा ।

इसके लिए आधुनिक  
तकनीकी जैसे - बिग डेटा एनालिटिक्स ,

क्वॉटम कंप्यूटिंग इत्यादि के प्रयोग से  
डाटा विश्लेषण द्वारा लोगों के विचारों  
तथा उनकी आवश्यकताओं पर बल दिया  
जा सकता है।

अतः यह कहा जा सकता  
है कि एक वैश्विक नागरिक न केवल  
वैश्वीकरण वाले सामाजिक, आर्थिक तथा  
राजनीतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता,  
भ्रतृत्व तथा अखंड विश्व जैसे -  
नैतिक व सामाजिक गुणों को रखता  
है जो विश्व विकास को संघारणीयता  
की ओर ले जाता है एवं शांति की  
राह स्थापित करता है। इसका एक  
उदाहरण इथोपिया का अपने  
पड़ोसी देश से 1992 से चले आ  
रहे विवाद का समाधान है।

" डिजिटल उनसंरचना भविष्य के लिए तैयार रहने वाले भासन हेतु महत्वपूर्ण है "

यह सन् 2010 की बात है जब राकेटा का कर्मचारी न्ययन अग्रिग हेतु काखिल किया गया आवेदन पत्र जिसे डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था, कुछ त्रुटियों के कारण खारिज हो गया तथा इसकी सूचना राकेटा को परीक्षाकाल के बाद पता चली क्योंकि राकेटा का घर बाहर से बाहर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में था। लेकिन अगले ही वर्ष कश्चित् जो उसका मित्र था, उसने राकेटा को सूचना दी कि इस बार आवेदन पत्र के लिए डाकप्रणाली के विपरित ऑनलाइन इंटरनेट के प्रयोग से आवेदन काखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है।

इस प्रकार अगले वर्ष के अविद्यत पत्र में बिना किसी त्रुटि के डिजिटल अवसंरचना के प्रयोग से शासन प्रणाली को अधिक नागरिक केन्द्रित अपनाया गया।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या चीज़ है डिजिटल अवसंरचना में जो कौशा इर बैठे व्यक्तियों को आपस में जोड़ देती है? यह शासन के विभिन्न गुणों को किस प्रकार समायोजित करती है? अविद्यत की शासन प्रणाली में डिजिटल अवसंरचना का क्या योगदान रहेगा? इसके क्या क्या आयाम हैं? यह समाज तथा सरकार को किस तरह प्रभावित करेगा? अविद्यत में इसके प्रति क्या-क्या चुनौतियाँ होंगी? इनसे किस प्रकार निपटा जा सकेगा इत्यादि। यहाँ हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

डिजिटल अवसंरचना से तात्पर्य प्रत्यक्ष मानवीय हस्तक्षेप (व्यक्तिगत तौर पर) के बिना सेवाओं जैसे- सामाजिक,

उनाथिक, सांस्कृतिक, सहायक इत्यादि  
तक ऑनलाइन पहुँच स्थापित करने  
हेतु संस्थागत तंत्र डिजिटल अवसंरचना  
कादलाता हैं। जैसे - संघ लोक सेवा  
आयोग भा अन्य संस्थानों में प्रवेश  
हेतु आवेदन का डिजिटलीकरण, भूमि  
अभिलेखा का डिजिटलीकरण आदि।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  
(UNDP) के अनुसार शासन के उत्कृष्टतम  
अर्थात् सुशासन हेतु प्रमुख आठ आयाम  
हैं जैसे - पारदर्शिता, जवाबदेहिता,  
नागरिक-केन्द्रित शासन प्रणाली, कर्तव्यनिष्ठा  
आदि। सुशासन के इन गुणों की  
प्राप्ति हेतु डिजिटल अवसंरचना एकमात्र  
हेली जुंजी है जो इन सभी आयामों  
के एकीकृत समेकन को संभव बनाता  
है।

जैसे - मनरेगा कार्यक्रम के तहत  
फण्ड का पंचायतों हेतु उपलब्ध कराना  
तथा खातों का डिजिटलीकरण कर  
सभी तक सूचना प्रदान करना सुशासन  
के पारदर्शिता तथा सूचना तक पहुँच को

निर्धारित करता है। वहीं सामाजिक  
अंकेक्षण द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण  
शासन की नागरिक-केन्द्रित पद्धति  
अपनाकार नागरिक भागीदारी को  
बढ़ाता है, जिससे प्रशासनिक जम्बोद्वैता  
का मार्ग प्रशस्त होता है।

इस तरह शासन हेतु डिजिटल  
अवसंरचना के अन्य दृष्टिकोण भी हैं।  
सामाजिक सशक्तीकरण हेतु डिजिटल  
अवसंरचना शासन के प्रभावी वित्तियन्वयन  
हेतु सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित  
करता है। जैसे - EPFO (एम्प्लॉयमेंट  
प्रोविडेंट फंड संगठन) कर्मचारियों तथा  
श्रमिकों हेतु ऑनलाइन नियुक्ता तथा  
श्रमिकों को जोड़कर शासन को  
डिजिटलीकरण बनाकर नागरिक-उन्मुख  
शासन प्रणाली को अपनाता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में  
देखें तो शासन के सूचात्मक हेतु  
नागरिक अधिकारों का नागरिकों में

जागरूकता का सृजन करना तथा इनकी प्राप्ति में भी भविष्य में डिजिटल अवसरेंचना मील का पत्थर साबित हो सकती है। जैसे - पूर्व में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI एक्ट) 2005 का विधानव्ययन करना।

इसके अतिरिक्त सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सुश्रेष्ठ वर्ग जैसे - महिला, बच्चे, निःशक्तजन, आदिवासी इत्यादि के अधिकारों तक पहुँच तथा इनकी शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल अवसरेंचना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे - हाल ही में #MeToo मीटू अभियान हो या PM- ग्राम स्वाभित्व योजना।

अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण तथा ~~अर्थव्यवस्था~~ भविष्य में आर्थिक संवर्द्धन युक्त विकास हेतु आर्थिक शासन को सुगमिकरण बनाने में डिजिटल अवसरेंचना ~~करे~~ तरह से योगदान दे सकता है। जैसे -

हाल ही में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा MCA 21 पोर्टल का निर्माण, RBI द्वारा विदेशी रिमिटेंस प्राप्त हेतु FCNR खातों को खोलना आदि।

उपरोक्त कारकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गरीबी उन्मूलन, आर्थिक संवर्द्ध, सामाजिक तथा महिला सशक्तीकरण, राजनीतिक आधीनता की प्राप्त हेतु डिजिटल अवसरचना भविष्य के लिए तैयार रहने वाले शासन के लिए महत्वपूर्ण है।

शासन के डिजिटलीकरण के अन्य लाभों में यह एक विश्व की अवधारणा को अधिक व्यवहारिक बना सकता है। जैसे - ऑनलाइन पासपोर्ट तथा वीजा प्रणाली अपनाने के बाद से वैश्विक पर्यटन उद्योग तथा रिमिटेंस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अंतराड (UNCTAD) के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक संरक्षण (रिमिटेंस)

# VISION IAS™

Don't write  
anything this  
margin  
(एक अक्षर भी  
लिखें न।)

प्राप्तकर्ता देश हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय  
स्वासन में भारतीय डायस्पोरा ब्रीफ पर  
है (अंतर्राष्ट्रीय स्वासन रिपोर्ट के अनुसार)

इस तरह शासन में डिजिटल अवसंरचना  
को और अधिक समायोजित कर  
रिमिट्स को \$100 बिलियन के लक्ष्य को  
प्राप्त किया जा सकता है जिससे  
चातु खाता घाटा (CAD) में कमी होगी  
तथा आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा।

अंतर्राष्ट्रीय शांति अभिष्टाहक तथा  
जैविकीकरण के काल में विभिन्न  
अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय एजेंसियों के  
आपसी समन्वय को बढ़ाने हेतु डिजिटल  
अवसंरचना मुख्य श्रमिका निभती है।  
जैसे - COVID-19 के कारण वैश्विक  
स्तर पर युनेस्को द्वारा ऑनलाइन  
शिक्षा हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध बनाना।  
क्षविल्य में वैश्विक शासन में शांति  
स्थापित करने हेतु डिजिटल अवसंरचना  
एक ऐसी कुंजी है जो एक विश्व की

अवधारणा को और अधिक मजबूत करेगा।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत के संदर्भ में बात करें तो वैश्विक महामारी से निपटने तथा प्रभावों को कम करने में श्री डिजिटल अवसर्यता का विशेष योगदान हो सकता है। जैसे - हाल ही में कोरोना-19 से निपटने तथा वैक्सिन विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GAVI (ग्लोबल एलायंस फॉर वैक्सिन डेव्लपमेंट) का होना, ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) द्वारा ऑनलाइन प्लॉटिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग हेतु दिशा-निर्देश।

इसके अतिरिक्त शिक्षा-शासन प्रणाली विकास तथा शिक्षा के मूल अधिकार (अनुच्छेद-21A) की प्राप्ति हेतु सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसे SDG (सतत विकास लक्ष्य) की प्राप्ति हेतु

डिजिटल अवसंरचना का निर्माण त्रिविध के शासन को प्रारम्भिक पारदर्शी तथा जवाबदेही युक्त नागरिकता आधारित बनाएगा। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा DDKSA (डिजिटल साक्षरता अभियान), विद्या दर्पण, MOOC, डिजिटल क्लासबोर्ड, NDL (राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी) आदि कार्यक्रमों को शुरु किया गया है।

हालांकि इन सभी विशेषताओं तथा आवश्यकताओं के बावजूद भविष्य में सभी देशों के प्रभावी शासन हेतु डिजिटल अवसंरचना को अपनाने हेतु भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। जैसे - डिजिटल अवसंरचना की कमी, कौशल युक्त श्रम बल की कमी, आधुनिक तकनीकी जैसे - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट तक पहुँच, उच्च स्पीड युक्त इंटरनेट (4G), आर्थिक असमानता, उच्च गरीबी, निम्न जागरूकता,

# VISION IAS™

Don't write anything in margin  
It will be cut off  
in the final

स्वास्थ्य में उच्च प्रॉब्लम व्यथ इत्यादि के कारण वर्तमान में केवल 59% ग्रामीण भारतीयों के पास मौखिक विद्यमान है, 14% ग्रामीणों के पास मेडिकल बीमा (जो शहरों में मात्र 19% तक पहुँच है) तक पहुँच है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन हेतु कार्यरत बैंकिंग खातों एवं औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक निम्न पहुँच यह दर्शाती है कि भारत जैसे देशों के लिए आविष्य के वासन हेतु तैयार रहने के लिए डिजिटल अवसरों के विकास के साथ-साथ इसका समावेशीकरण अतिआवश्यक होगा।

डिजिटल अवसररचना के विकास से वासन के निम्न पहलुओं को उत्तमिक नागरिक आधारित बनाया जा सकेगा - अनार्यक असमानता को कम, सामाजिक सेवाओं तक पहुँच स्थापित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ (जैसे- टेलिमेडिसिन

सेवाओं), राजनीतिक आयोगों की प्राप्ति आदि।

इस संबंध में भारत सरकार ने अनेक बड़े उद्योग हैं। जो निम्न हैं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु e-स्वास्थ्य (टेलीमैडिसिन सेवा), अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों हेतु e-tourism, e-आतिथ्य, आदिवासीयों हेतु 'स्वास्थ्य पोर्टल', डिजिटल भारत अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान, विद्यादर्पण, DIKSHA, e-RAG पटल, आदि।

अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तरों पर विकेंद्रीकरण उपागम द्वारा आधुनिक तकनीकी विकास जैसे - IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर आदि के विकास हेतु समन्वय की आवश्यकता है। हालांकि प्रमुख समस्या के रूप में निजता के आयोग

# VISION IAS™

Don't write  
anything this  
margin  
(इस भाग में  
कुछ न लिखें)

(अनुच्छेद 21 के तहत मौखिक अधिकार)  
के संरक्षण हेतु B.N. श्रीकृष्ण  
समिति की सिफारिशों को लागू कर  
अविधायी-मुख्य शासन के लिए डिजिटल  
अवसंरचना की ओर कदम बढ़ाना  
चाहिए ताकि JAM (जन-आधार-  
मोबाइल) त्रिनिटी द्वारा पारदर्शिता  
युक्त शासन की स्थापना की जा  
सके।